सहभागिता को बढ़ावा :
राज्य सरकार की
बजट प्रक्रिया को समझना

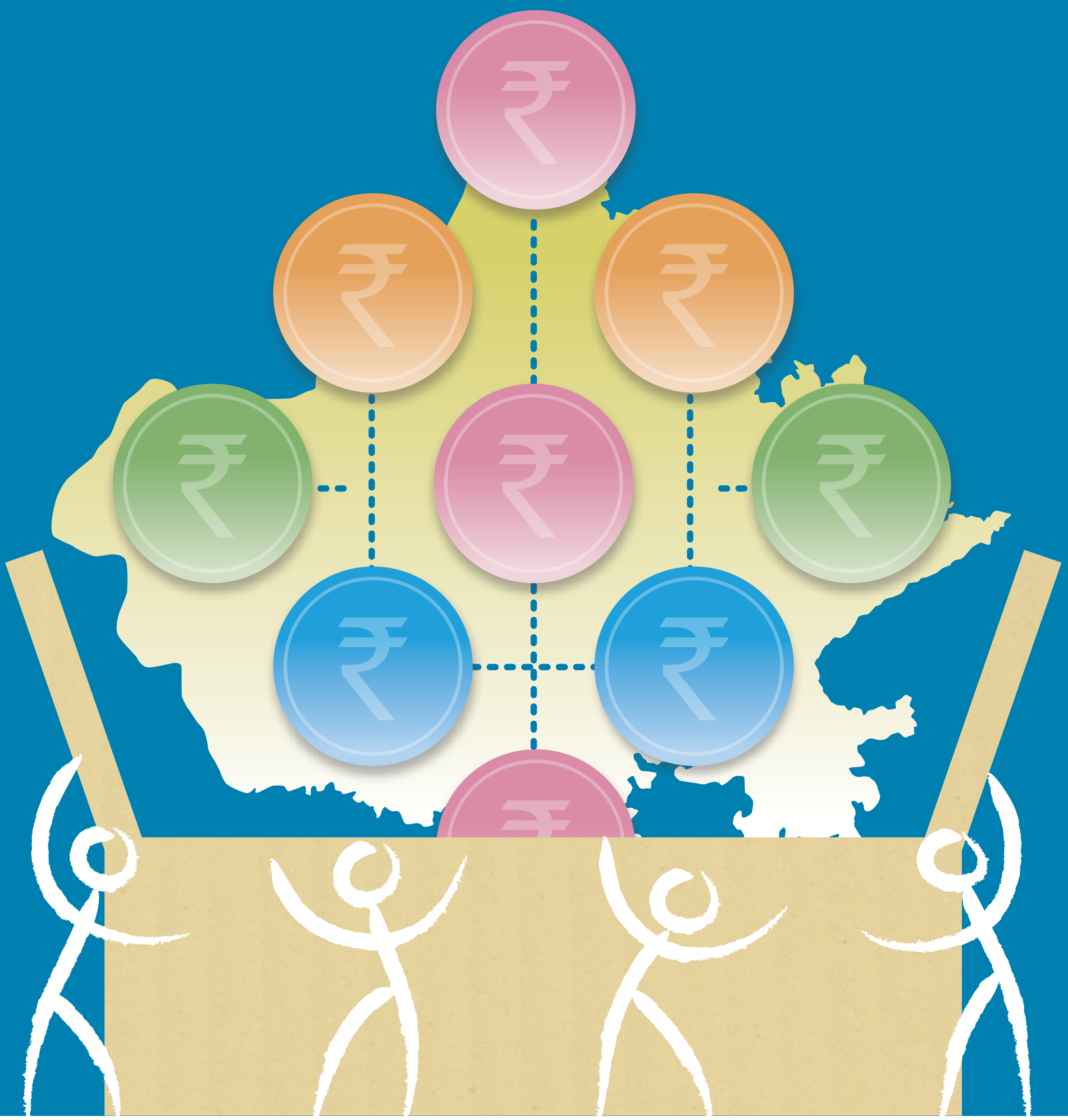

बजट अध्ययन एवं अनुसंधान केन्द्र ट्रस्ट
Budget Analysis and Research Centre Trust

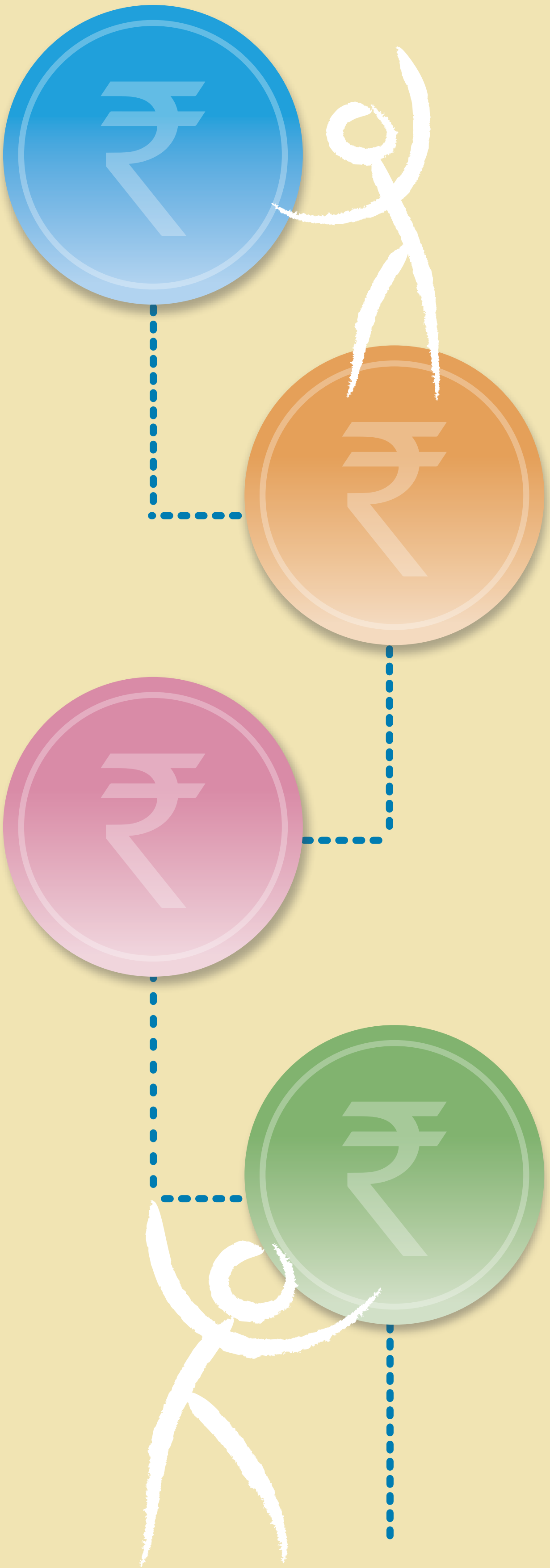

सहभागिता को बढ़ावा : राज्य सरकार की बजट प्रक्रिया को समझना

बजट अध्ययन एवं अनुसंधान केन्द्र ट्रस्ट
Budget Analysis and Research Centre Trust
(2019)

बजट अध्ययन एवं अनुसंधान केन्द्र ट्रस्ट
Budget Analysis and Research Centre Trust
ई-758-59 नकुल पथ, लाल कोठी स्कीम
लाल कोठी , जयपुर (राज.)-302015
ई.मेल- barctrust@gmail.com
वेबसाइट- www.barctrust.org

लेखन
शेरल शाह

अनुवाद
सत्देव बारेठ, नेसार अहमद

संपादन
नेसार अहमद, शफकत हुसैन, सुब्रत दास

सहयोग
unicef

वर्ष
2019

कॉपीराइट
बजट अध्ययन एवं अनुसंधान केन्द्र ट्रस्ट
अध्ययन, शोध एवं प्रशिक्षण हेतु इस पुस्तिका का
उपयोग संदर्भ के साथ किया जा सकता है।

डिस्क्लेमर
यह प्रकाशन सिर्फ सामान्य संदर्भ और शिक्षा के लिये है। इसका उपयोग कानूनी उद्देश्य के लिये नहीं किया जा सकता है।
पुस्तिका के मुख्य और अतिम पृष्ठ पर दिया गया राजस्थान का नक्शा केवल कलात्मक उपयोग के लिये है और पुर्णत्या शुद्ध नहीं है।

प्रस्तावना

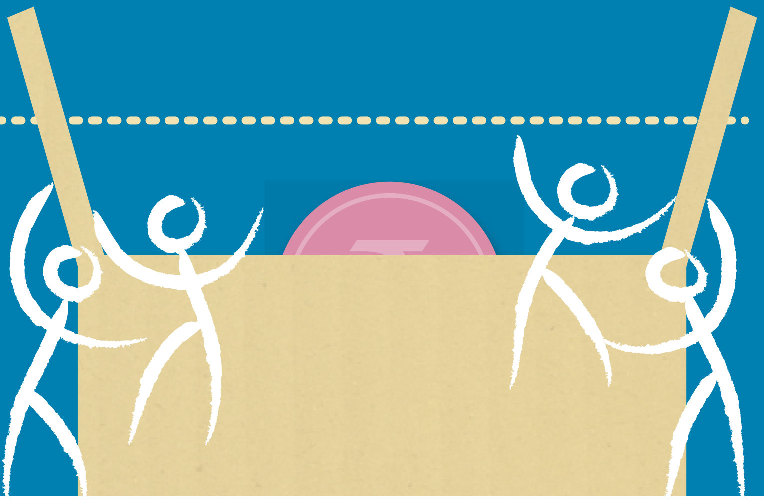

राज्य सरकार की बजट बनाने की प्रक्रिया का खुलासा करने की क्यों जरूरत है? पारदर्शिता, जवाबदेही एवं सहभागी शासन व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए बजट विश्लेषण एक महत्वपूर्ण उपक्रम है। यह देखना बहुत जरूरी है कि क्या बजट में समाज के सभी वर्गों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया है ?

सरकार द्वारा किये गये वादों, जैसे टिकाऊ विकास लक्ष्यों (SDG) का उद्धेश्य आर्थिक, पर्यावरणीय तथा सामाजिक क्षेत्र में विकास को टिकाऊ बनाना है। इन लक्ष्यों के पीछे मुख्य विचार यह है कि कोई एक भी व्यक्ति पीछे नहीं छुटे और सर्वसमावेशी प्रगति और विकास की प्रक्रिया को अपनाया जाये। इसका अर्थ यह हुआ कि ऐसी नीतियों और योजनाओं को बनाया और कार्यान्वित किया जाये जो पर्यावरणीय स्थायित्व वाली आर्थिक प्रगति की प्रक्रिया में वंचितों और हाशिये के व्यक्तियों को शामिल करके उनकी प्रगति को बढ़ावा दें सके।

सरकार द्वारा किये गये विभिन्न वादे बजट आवंटन द्वारा ही पूरे किये जा सकते हैं। बजट की प्रक्रिया की निगरानी करने से यह समझने में मदद मिलती है कि सरकार ने अपने वादों को पूरा करने की दिशा में क्या कार्रवाई की है। इसी वजह से बजट को समझना जरूरी है। क्योंकि इन समुदायों की आवश्यकताओं को योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए बजट आवंटन के जरिये ही प्रतिनिधित्व मिलेगा। बजट को समझना और इसको कैसे बनाया जाता है, उसे जानना किसी भी प्रकार की बेहतरी के लिए पैरवी करने के लिए जरूरी है।

इसीलिए सामाजिक संस्थाओं के लिए यह समझना जरूरी है कि बजट बनाया कैसे जाता है। बजट बनाने की प्रक्रिया को समझकर उसमें सामाजिक संस्थाओं की भागीदारी और पैरवी के अवसरों की पहचान की जा सकती है तथा उसके आधार पर हाशिये के लोगों की आवश्यकताओं को उठाकर उनका प्रतिनिधित्व किया जा सकता है।

बार्क ने हमेशा ही बजट प्रक्रिया में पारदर्शिता और सहभागिता बढ़ाने पर जोर दिया है। इस दिशा में प्रयास करते हुए बार्क ने राज्य बजट को समझने के लिये सरल हिन्दी मे कईं पुस्तिकाएं और मैन्युल प्रकाशित किये हैं। इनके द्वारा राज्य बजट और इसमें उपयोग की गई शब्दावली आमजनों के लिये आसान भाषा में समझाने की कोशिश की गई है।

और अब यह पुस्तिका बजट बनाने की पूरी प्रक्रिया को आसान भाषा में समझाने का प्रयास करती है, जिससे सामाजिक संस्थाएं और आमजन बजट को आसानी से समझ सकें। हमें आशा है कि इससे बजट प्रक्रिया में पारदर्शिता और सहभागिता को बढ़ावा मिलेगा।

नेसार अहमद
निदेशक, बार्क ट्रस्ट

विषय सूची

विवरण	पृष्ठ संख्या
प्रस्तावना	
संक्षिप्त रूप	5
1 . भूमिका	6
2 . बजट प्रक्रिया	8
• बजट निर्माण	
• बजट अधिनियम	
• बजट क्रियान्वयन	
• अंकेक्षण	
3 . बजट की विधायी जांच	16
4 . सामाजिक संगठनों की बजट प्रक्रिया में भागीदारी के अवसर	19
शब्दावली	22
संदर्भ	24

आरेख एवं तालिका सूची

आरेख–1 : वार्षिक वित्तीय विवरण

आरेख–2 : राज्य स्तर पर तीन भिन्न–भिन्न लेखा (निधियां)

आरेख–3 : बजट चक्र

आरेख–4 : बजट का अंतिम संकलन

आरेख–5 : धनराशि का अनुमोदन एवं स्वीकृति

आरेख–6 : बजट अनुमान एवं अंतिम रूप दिए जाने की प्रक्रिया

तालिका–1 : बजट बनाने के चरण

तालिका–2 : विधायी समितियां

तालिका–3 : सामाजिक संगठनों की भागीदारी की संभावनाएं

संक्षिप्त रूप

AE	Actual Expenditure
BE	Budget Estimates
BFC	Budget Finalization Committee
BOCWF	Building and Other Construction Workers Fund
C&AG	Comptroller and Auditor General
CAMPA	Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority
CMIS	Chief Minister Information System
DDO	Drawing and Disbursing Officer
DMFT	District Mineral Fund Trust
GBS	Gender Budget Statement
GRB	Gender Responsive Budgeting
GSDP	Gross State Domestic Product
IFMS	Integrated Financial Management System
MLA	Member of Legislative Assembly
MNREGA	Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act
MPLAD	Member of Parliament Local Area Development
NGO	Non-Governmental Organization
PAC	Public Accounts Committee
PMMVY	Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana
PRI	Panchayati Raj Institution
RE	Revised Estimates
SC	Scheduled Case
SCSP	Scheduled Caste Sub-Plan
SDGs	Sustainable Development Goals
ST	Scheduled Tribe
TSP	Tribal Sub-Plan

अध्याय–1 : भूमिका

इस दस्तावेज का उद्देश्य राज्य में बजट बनाने की प्रक्रिया, जो सरकार की विभिन्न विभागीय गतिविधियों, योजनाओं, कार्यक्रमों आदि को वित्त प्रदान करने के लिए की जाती है, का खुलासा करना है। आगे बढ़ने से पहले, यह समझना जरूरी है कि बजट का अर्थ क्या है तथा उसकी ज़रूरत क्यों है।

बजट क्या है ?

बजट, जो वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहलाता है, प्राप्तियों (Receipts) और किये जाने वाले संभावित व्यय (Expenditure) का विवरण है। इसमें प्राप्तियों के स्रोतों को सूचीबद्ध किया जाता है और व्यय के अनुमान प्रस्तुत किये जाते हैं।

बजट एक संवैधानिक आवश्यकता है जिसे संघ और राज्य सरकारों को अंजाम देना होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 202 के अनुसार राज्यपाल का यह दायित्व है कि वह राज्य विधानसभा में प्रतिवर्ष सरकार की अनुमानित प्राप्तियों एवं व्यय का विवरण वित्त वर्ष के लिए प्रस्तुत करें।

यह अभ्यास इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इससे सरकार को जनहित की विभिन्न गतिविधियों पर होने वाले व्यय तथा उस व्यय हेतु वित्त पोषण का अनुमान लगाने में मदद मिलती है। राज्य स्तर पर वार्षिक वित्तीय विवरण संबंधित विभागों को शामिल करके तैयार किया जाता है (राज्य में कई विभाग होते हैं, जिनमें प्रत्येक को एक खास क्षेत्र, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि को देखने की जिम्मेदारी होती है), इसके बाद वित्त विभाग द्वारा उसे अंतिम रूप दिया जाता है तथा विधानसभा द्वारा मंजूर किया जाता है। अध्याय–2 में इस प्रक्रिया का विस्तृत विवरण दिया गया है।

राज्य बजट का बुनियादी ढ़ांचा

वार्षिक वित्तीय विवरण में वित्त वर्ष में खर्च होने वाले आवश्यक संसाधनों का विवरण, वित्त वर्ष में प्राप्त होने वाले राजस्व एवं प्राप्तियों का अनुमान तथा सरकार की वित्तीय स्थिति का विवरण शामिल होता है। राज्य बजट के बुनियादी ढ़ांचे में समेकित निधि (Consolidated Fund), आकस्मिक निधि (Contingency Fund) तथा लोक–लेखा (Public Account) शामिल होता है।

आरेख–1 : वार्षिक वित्तीय विवरण

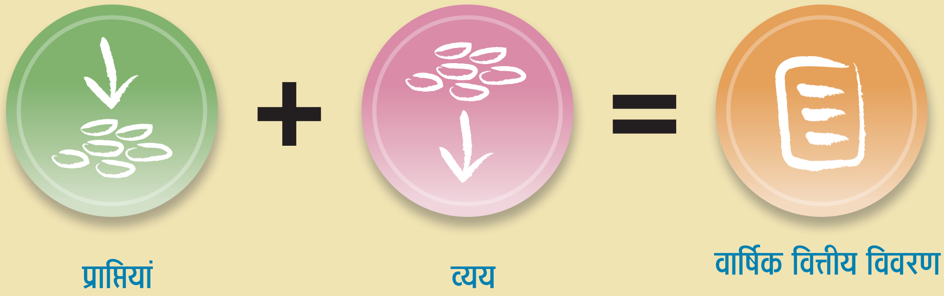

आरेख-2: राज्य स्तर पर तीन भिन्न लेखा

राज्य बजट (State Budget)

समेकित निधि (Consolidated Fund)
- पूंजीगति प्राप्तियां (Capital Receipts)
- पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure)
- राजस्व प्राप्तियां (Revenue Receipts)
- सार्वजनिक ऋण (Public Debt)

आकस्मिक निधि (Contingency Fund)
- आकस्मिक व्यय (Unforeseen Expenditure)

लोक लेखा (Public Account)
- शेष ऋण (Remaining Debt)
- जमा और प्रेषण लेन-देन (Deposit and Remittance Transactions)

समेकित निधि (Consolidated Found)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अनुसार, किसी राज्य द्वारा प्राप्त राजस्व, राजकोष चालान (Treasury Bills) या ऋण-पत्र जारी करके उस सरकार द्वारा सृजित किये गये सभी ऋण, ऋण या 'वेज एंड मींस एडवांस' (रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर सरकारों को दिया जाने वाला अल्पावधि ऋण) तथा उस सरकार द्वारा ऋण वापसी या कर्ज-अदायगी से प्राप्त समस्त धन'' को राज्य की समेकित निधि के रूप में परिभाषित किया गया है। इसमें राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियां एवं व्यय, पूंजीगत प्राप्तियां (Capital Receipts) एवं व्यय तथा सार्वजनिक ऋण (Public Debt) (राज्य सरकार द्वारा सृजित ऋण) सम्मिलित हैं। राज्य सरकार के समस्त आगामी अपेक्षित व्यय, विधानसभा की पूर्वानुमति से, इसी निधि से किये जाते हैं।

आकस्मिक निधि (Contingency Fund)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद-267(1) के अनुसार आकस्मिक निधि ''आकस्मिक व्यय करने हेतु'' होती है। इस निधि के द्वारा व्यय की जाने वाली राशि के लिए राज्य सरकार को विधानसभा की पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन व्यय की गई राशि को विधानसभा से बाद में अनुमोदित करवाना होता है।

लोक लेखा (Public Account)

इस लेखा का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद-266(2) के तहत किया गया है और इसमें ''किसी राज्य सरकार द्वारा प्राप्त या उसकी तरफ से प्राप्त सभी अन्य सार्वजनिक धन सम्मिलित हैं। समेकित निधि में सम्मिलित ऋण के अलावा अन्य ऋण एवं जमा राशियां जैसे भविष्य निधि (Provident Fund), लघु बचत संग्रह (Small Saving Collections) आदि जमा एवं प्रेषण लेन-देन या भेजी हुई रकम (Remittance Transactions) इसमें शामिल होते हैं। इस लेखा की राशि राज्य सरकार की नहीं होती, बल्कि राज्य सरकार केवल इसका प्रबंधन करती है।

बजट प्रकिया

जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट) प्रत्येक वर्ष तैयार किया जाता है। बजट प्रक्रिया में सबसे पहले बजट निर्माण (Budget Formulation) का चरण आता है जिसमें बजट व्यय प्रारूप (Outlay) के अनुमान तैयार किये जाकर वित्त विभाग द्वारा उनका संकलन किया जाता है। उसके बाद इसे विधानसभा में पेश कर पारित किया जाता है, जिसे बजट अधिनियमन (Budget Enactment) कह सकते हैं। इसमें बजट अनुमान अनुमोदन के लिए राज्य विधानसभा को प्रस्तुत किये जाते हैं। जब बजट अनुमान मंजूर हो जाते हैं और (इन अनुमानों के आधार पर) धनराशि स्वीकृत हो जाती है तब बजट कार्यान्वयन (Budget Implementation) शुरू हो जाता है, और योजनाओं एवं अन्य गतिविधियों के कार्यान्वयन हेतु अनुदान और धन वितरित (Disbursal) किया जाता है। बजट क्रियान्वयन की निगरानी भी की जाती है। इसके बाद लेखा की जांच या अंकेक्षण (Audit) होता है।

अब हम बजट चक्र (Budget Cycle) के प्रत्येक चरण को समझने का प्रयास करेंगे। हालांकि, हमारा ध्यान बजट निर्माण (Budget Formulation) एवं बजट अधिनियमन (Budget Enactment) की प्रक्रिया पर अधिक केन्द्रित रहेगा।

अध्याय-2 : बजट की प्रक्रिया

जैसा कि पहले अध्याय में उल्लेख किया गया है, बजट चक्र के चार चरण होते हैं। इस अध्याय में बजट निर्माण की प्रक्रियाओं एवं बजट अधिनियमन के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। साथ ही, बजट क्रियान्वयन एवं इसके अंकेक्षण के संबंध में भी संक्षिप्त व्याख्या दी गई है।

चरण 1 : बजट निर्माण

बजट निर्माण की प्रक्रिया काफी लम्बी होती है। इस चरण में संबंधित विभागों द्वारा प्राप्तियों और व्यय का आकलन कर वित्त विभाग द्वारा अंतिम रूप से संकलित किया जाता है। सरलता से समझने के लिए यह प्रक्रिया दो भागों में बांटी गई है, पहली आकलन एवं नियोजन तथा दूसरी बजट निर्माण। इन चरणों का संक्षिप्त ब्यौरा तालिका-1 में दिया गया है।

आरेख-3 : बजट चक्र (The Budget Cycle)

चरण 1.1 : आकलन एवं नियोजन

बजट परिपत्र (Circular) जारी करना

शुरुआत में राज्य का वित्त विभाग उपलब्ध वित्तीय स्रोतों का आकलन करता है जिनमें चालू योजनाओं में प्राप्त सहायता, उनके क्रियान्वयन पर खर्च की गई राशि, सरकारी उपक्रमों (Public Enterprises) एवं स्थानीय निकायों (Local Bodies) की निधि, बकाया (Outstanding Arrears) इत्यादि शामिल होती हैं।

सितम्बर में वित्त विभाग सभी विभागों को बजट परिपत्र जारी करता है। इसमें चालू वित्त वर्ष के लिए संशोधित अनुमानों तथा अगले वर्ष के लिए बजट अनुमानों को बनाने के बारे में निर्देश दिए होते हैं। बजट परिपत्र में बजट की प्रक्रिया में किसी प्रकार के परिवर्तन, जैसे वर्गीकरण में परिवर्तन, प्रक्रिया में परिवर्तन आदि एवं बजट कलेंडर (बजट तैयार करने में विभिन्न कार्यों की समय सीमा) के बारे में जानकारी भी दी जाती है।

बजट अनुमानों का निर्धारण (Determination of Budget Estimate)

परिपत्र जारी होने के बाद विभिन्न विभागों द्वारा बजट अनुमान तैयार किये जाते हैं। प्राप्ति एवं व्यय अनुमानों के आधार पर बजट बनता है। ये अनुमान राजस्थान राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 (Rajasthan Fiscal Responsibilities and Budget Mangement Act, 2005) के अनुसार तैयार किये जाते हैं। बजट अनुमानों पर इस अधिनियम के निम्न प्रभाव होते हैं :–

- राज्य के वित्त विभाग द्वारा विभिन्न स्रोतों, जैसे, केन्द्रीय करों में राज्य का अंश, राज्य के स्वयं के कर तथा गैर–कर राजस्व, केन्द्र द्वारा दिया गया अनुदान आदि, से अपेक्षित कुल आय बजट में खर्च के आकार को निर्धारित करते हैं। इस अधिनियम के बनने से पहले, कुल अनुमानित खर्च के अनुसार राजस्व जुटाने की नीतियों (Revenue Mobilization Policies) तथा कुल आय को निर्धारित किया जाता था।
- अधिनियम के अनुसार राजस्व घाटा (Revenue Deficit) शून्य ही होना चाहिए, अर्थात् व्यय राजस्व प्राप्तियों से अधिक नहीं होना चाहिए तथा राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit) राज्य घरेलू उत्पाद (State Domestic Product) के 3% से अधिक नहीं होना चाहिए। अतः अधिनियम के इन प्रावधानों की पालना करते हुए ही बजट अनुमान तैयार किये जाने चाहिए।

प्राप्ति अनुमान तैयार करना

आय के कुल अनुमान (पूंजीगत और राजस्व प्राप्तियां) अगले वर्ष में प्राप्त होने वाले राजस्व की संभावनाओं पर आधारित होता है। आकलन अधिकारियों (Estimating Officers) द्वारा इस परम्परा का निर्वहन किया जाता रहा है। इस प्रकार के अनुमान तैयार करने के लिए करों की वर्तमान दर, सृजित होने वाले अपेक्षित राजस्व के साथ विभागीय सेवाओं के लिए मांग, बकाया, आर्थिक स्थिति अथवा नीति संबंधी बदलावों के फलस्वरूप राजस्व पर प्रभाव आदि पर भी ध्यान दिया जाता है।

व्यय अनुमान तैयार करना

व्यय का अनुमान (पूंजीगत और राजस्व व्यय) संबंधित विभागों की वित्तीय जरूरतों के आधार पर किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन हेतु विधानसभा में प्रस्तुत किए जाने वाले बजट में सभी अनुमानित व्ययों का समेकित योग होता है। व्यय का आकलन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिससे आगामी वर्ष के लिए व्यय का सटीक अनुमान लगाने में सरकार को मदद मिलती है और इस प्रकार सरकार उक्त व्यय के लिए आवश्यक धन की व्यवस्था करती है। प्राप्तियों के अनुमान की तरह ही आकलन अधिकारियों द्वारा ये अनुमान भी तैयार किये जाते हैं और इनमें वर्तमान वर्ष के लिए संशोधित अनुमान और आगामी वर्ष के लिए बजट आंकलन सम्मिलित होते हैं।

तालिका 1: बजट निर्माण के चरण (Steps for Budget Formulation)

चरण (Steps)	विवरण (Description)	समय
1. आकलन एवं आयोजना	इस चरण को दो उपचरणों में विभाजित किया जा सकता है।	सितम्बर–नवम्बर
(अ) बजट परिपत्र जारी होना	वित्त विभाग द्वारा सभी विभागों को अगले वित्त वर्ष के लिए बजट अनुमान तथा चालू वित्त वर्ष के लिए संशोधित अनुमान तैयार करने के लिए निर्देश दिया जाता है।	सितम्बर
(ब) बजट अनुमानों का निर्धारण	बजट अनुमान निर्धारित करके समेकित वित्तीय प्रबंधन तंत्र (Integrated Financial Management System-IFMS) पर अपलोड किया जाता है, जिसे विभागाध्यक्षों द्वारा जांचा जाता है। विभागाध्यक्ष ये अनुमान प्रशासनिक विभागों को भेज देते हैं और उसके बाद वित्त विभाग को अंतिम रूप से संकलित करने के लिए भिजवाये जाते हैं।	नवम्बर
2. बजट तैयार करना	वित्त विभाग बजट निर्णायक समीतियों की मदद से विभिन्न विभागों द्वारा तैयार बजट आकलनों को अंतिम रूप देता है।	नवम्बर/दिसम्बर–जनवरी

वित्तीय वर्ष 2016-17 तक व्यय-अनुमान आयोजना और गैर आयोजना व्ययों में बंटे होते थे। वर्ष 2017-18 से बजट में आयोजना और गैर आयोजना व्यय का भेद समाप्त कर दिया गया है। अब प्रत्येक विभाग की योजनाओं का बजट अनुमान योजना विभाग द्वारा निर्धारित सीमा में तैयार किया जाता है।

बजट का ढ़ांचा : बजट दस्तावेजों में विगत वर्ष, मौजूदा वर्ष एवं आगामी वर्ष के बजट आंकड़े दिखाये जाते हैं। बजट में मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए बजट अनुमान और संशोधित बजट दोनों दिये होते हैं, जबकि आगामी वित्तीय वर्ष के लिए (जिसके लिए बजट तैयार किया जाता है) बजट-अनुमान दिया गया होता है और विगत वित्तीय वर्ष के लिये सरकार द्वारा किये गए वास्तविक व्यय की जानकारी रहती है। नियंत्रक एवं महालेखा परिक्षक (CAG) द्वारा निर्धारित मुख्य शीर्ष, उपमुख्य शीर्ष व लघु शीर्ष जिन्हें बजट कोड कहा जाता है, के अनुसार इन अनुमानों को दिखाया जाता है। बजट कोड का विस्तृत विवरण बॉक्स-1 में देखा जा सकता है।

बॉक्स- 1 सरकार के बजट में उपयोग होने वाले मद

राजस्थान में बजट मदवार प्रस्तुत होता है। प्रत्येक बजट मद का एक नियत कोड है। सभी बजट मदों के लिए राज्य निधी और केन्द्रीय सहायता के अलग-अलग आंकड़े उपलब्ध कराए जाते हैं।

सरकार के हर प्रमुख कार्य के लिए एक मद नियत किया जाता है, जिसे मुख्य शीर्ष कहते हैं। उदाहरण के लिए शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण आदि। प्रत्येक मुख्य शीर्ष के तहत कुछ उप मुख्य शीर्ष मद होते हैं और इनके नीचे लघु शीर्ष होते हैं। मुख्य शीर्ष, उप मुख्य शीर्ष और लघु शीर्ष नियंत्रक एवं महालेखा परिक्षक (CAG) द्वारा निर्धारित किये गये हैं और केन्द्र व सभी राज्य सरकारों के बजट में इनका उपयोग होता है।

लघु शीर्ष के नीचे राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित उप शीर्ष, समूह शीर्ष और इकाई या विस्तृत शीर्ष को दर्शाया जाता है। लघु शीर्ष के नीचे के ये कोड प्रत्येक राज्य में अलग-अलग हो सकते हैं। बार्क द्वारा हिन्दी में प्रकाशित दस्तावेज ''कैसे समझें सरकार का बजट'' में बजट के ढांचे और कूट (कोड) का पूरा विवरण दिया गया है।

मुख्य शीर्ष
- 4 अंक की कूट संख्या (कोड)
- उदाहरण- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण-2235

उपमुख्य शीर्ष
- 2 अंक की कूट संख्या (कोड)
- उदाहरण - समाज कल्याण-02

लघु शीर्ष
- 3 अंक की कूट संख्या (कोड)
- उदाहरण- नि:शक्तजन कल्याण-101

उपशीर्ष
- 2 अंक की कूट संख्या (कोष्टक में)
- उदाहरण- नि:शक्तजन कल्याण निदेशालय- (38)

समूह शीर्ष
- 2 अंक की कूट संख्या (कोष्टक में)
- उदाहरण- दिशानिर्देश एवं प्रशासन - [01]

इकाई या विस्तृत शीर्ष
- 2 अंक की कूट संख्या
- उदाहरण - वेतन एवं मजदूरी-01

बॉक्स 2 : बजट अनुमान में जिला प्रशासन की भूमिका

बजट अनुमान जिला स्तर पर भी किया जाता है। जिला स्तरीय बजट आकलन के लिए संबंधित जिला कलेक्टर उत्तरदायी होते हैं। वे जिले में बजट अनुमान की प्रक्रिया का समन्वय करते हैं। इसके बाद उन अनुमानों की समीक्षा कर जिला आयोजना कमेटी के अनुमोदन हेतु भेजा जाता है और फिर इसे संबंधित प्रशासनिक विभाग को प्रेषित कर दिया जाता है। जिला स्तरीय योजनाओं के लिए व्यय सीमा भी निर्धारित की जाती है। जिला स्तर पर बजट अनुमान कार्रवाई शुरू करने से पहले पंचायती राज विभाग इन व्यय सीमाओं को निर्धारित करता है। इस तरह जिले स्तर की विभागीय योजना बनती है। हालांकि वास्तव में जिला स्तरीय बजट की तैयारी ऊपर से नीचे के क्रम में ही की जाती है, जैसे राज्य सरकार के विभागों द्वारा ही जिलों में आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट वृद्धि की सीमा, वृद्धि या कटौती को निर्धारित किया जाता है।

प्राप्तियों व व्यय अनुमानों का परीक्षण

संबंधित विभागों के आकलन अधिकारियों द्वारा प्राप्ति व व्यय का अनुमान समेकित वित्तीय प्रबंध तंत्र (IFMS) सॉफ्टवेयर में अपलोड किया जाता है। इस सॉफ्टवेयर में अपलोड कर दिये जाने पर ये विभागाध्यक्ष के द्वारा परीक्षण के लिए सुलभ हो जाते हैं। उनके अनुमोदन के पश्चात् ये प्रशासनिक विभागों को भेज दिये जाते हैं जो अगले चरण के लिए इन्हें वित्त विभाग को अग्रेषित कर देते हैं। आकलन अधिकारियों द्वारा तैयार व्यय-अनुमानों के साथ एक बजट-नोट भी संलग्न किया जाता है, जिसमें संशोधित बजट और बजट अनुमानों के बीच कोई अंतर हो तो उसके कारण स्पष्ट किये जाते हैं।

कमजोर वर्गों के लिए बजट निर्माण: जेंडर बजट विवरण और अनुसूचित जाति उपयोजना तथा अनुसूचित जनजाति उपयोजना

राज्य बजट में जेंडर बजट विवरण और आदिवासियों के लिए अनुसूचित जनजाति उपयोजना और दलित समुदायों के लिये अनुसूचित जाति उप योजना का भी प्रावधान है।

- जेंडर संवेदी बजट- इस प्रक्रिया में बजट बनाते हुए यह ध्यान रखना होता है कि समाज में लैंगिक असमानता है और विशिष्ट लैंगिक जरूरतों के प्रति सवेंदनशील बजट बनाना होता है। भारत सरकार ने सन् 2005-06 से सबसे पहले जेंडर बजट पेश करना शुरू किया। राजस्थान में यह प्रक्रिया जेंडर बजट विवरण (GBS) के निर्माण और प्रस्तुतीकरण तक ही सीमित है, जो बहुत सूचनात्मक नहीं होती। हालांकि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2018 में एक आदेश[2] जारी किया गया है जिसके अनुसार अब जेंडर बजट विवरण (GBS) के स्वरूप में बदलाव किया गया है और अब विभागों के लिए यह अनिवार्य है कि वे जेंडर बजट विवरण (GBS) में दिये गये जेंडर घटक का आधार भी बताएं।

- अनुसूचित जन जाति उप योजना और अनुसूचित जाति उपयोजना- अ.जा. और अ.ज.जा. के उत्थान के लिए अ.जा. उपयोजना (SCSP) और अ.ज.जाति उपयोजना (TSP) बनायी जाती है। वर्ष 2016-17 तक राज्य की कुल आबादी में उक्त दो समुदायों की आबादी के अनुपात के बराबर अनुपात में आयोजना बजट इन्हीं दो समुदायों पर खर्च करने का प्रावधान था। लेकिन सन् 2017-18 से बजट में आयोजना और गैर आयोजना का वर्गीकरण समाप्त हो गया है। ऐसे में अब सभी योजनाओं और कार्यक्रमों के बजट में ही इन दो समुदायों के आबादी के अनुपात में बजट रखने का प्रावधान है। इसका अर्थ यह है कि अब अनु.ज.जाति उपयोजना (TSP) और अ.जा. उपयोजना (SCSP) के अंतर्गत् प्रत्येक विभाग राज्य की कुल आबादी में अ.जा. और अ.ज.जा. के अनुपात के अनुसार विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए धन आंवटित करेगें[3]। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग इन उपयोजनाओं के क्रियांवयन हेतु नोडल विभाग हैं। बजट व्यय के अनुमान के समान ही आयोजना विभाग/वित्त विभाग/ नोडल विभागों द्वारा इन उपयोजनाओं के लिए व्यय-सीमा निर्धारित की जाती है। इस व्यय सीमा के अन्दर ही प्रत्येक विभाग के आकलन अधिकारी उक्त दोनों उपयोजनाओं के लिए बजट अनुमान तैयार करते हैं।

---

2. शासनादेश सं. F.4(92)FD1(1) बजट/2008
http://fimamce.rajasthan.gov.in/PFFDOCS/BUDGET/F-BUDGET-7770-18092018.pdf पर उपलब्ध।
3. यदि हम कुल योजना को देखें तो वर्ष 2018-19 में कुल आयोजना का बजट अनुमान (BE) रु. 107865.40 करोड़ था जिसमें से रु. 19283.74 करोड़ अ.जा. उपयोजना और रु. 14610.06 करोड़ जनजाति उपयोजना के लिए किया गया था। यह आवंटन अपेक्षित प्रतिशत के अनुरूप है। लेकिन यदि हम बजट दस्तावेजों में प्रकाशित आंकड़ों के आधार पर गणना करें तो अ.जा. उपयोजना के लिए यह राशि रु. 12514.27 करोड़ और जनजाति उपयोजना के लिए यह राशि 10633.75 करोड़ बैठती है।

हालांकि वास्तविकता में जेंडर बजट विवरण (GRB), अ.जा. उपयोजना (SCSP) या अनु ज.जा. उपयोजना (TSP) का बजट इस आधार पर बनता है कि इनमें कुल बजट का कितना प्रतिशत दर्शाया जाना है। ना कि विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं, अ.जा. और अ.ज.जा. की विशिष्ट जरूरतों के आकलन के आधार पर। दूसरे शब्दों में, जेंडर बजट विवरण (GRB), अ.जा. उपयोजना या जनजाति उपयोजना में आबादी के वंचित वर्ग की विशिष्ट जरूरतों के लिए की गई आयोजना के बजाए बस एक निश्चित अनुपात में रिपोर्टिंग पर अधिक ज़ोर होता है।

चरण 1.2 : बजट निर्माण

यह वस्तुत: बजट को अंतिम रूप दिये जाने का चरण है। जैसा कि उल्लिखित है इस प्रकार तैयार बजट अनुमान आकलन अधिकारी से विभाग प्रमुखों को, उसके बाद प्रशासनिक विभाग को और अंतत: वित्त विभाग को भेज दिया जाता है। वित्त विभाग की जिम्मेदारी इन अनुमानों को जांच करने की होती है, जैसे बजट मद सही है या नहीं इसको देखना। वित्त विभाग उपलब्ध अनुमानों की जांच परीक्षण के अलावा बजट के संभावित कम व्यय को लेकर विभागीय आशंका व मंतव्य के अनुरूप बजट को घटाने, वेतन मद को संशोधित करने और किसी मद के अन्तर्गत व्यय के वर्गीकरण को सुधारने जैसे बदलाव करने के लिए भी अधिकृत होता है।

बजट को अंतिम रूप दिये जाने के क्रम में वित्त विभाग को आवश्यक सहयोग के लिए विभिन्न विभागों में अनेक बजट निर्णायक कमेटियां (Budget Finalization Committee) गठित होती हैं, जो बजट को अंतिम रूप देने के लिये वित्त विभाग से समय-समय पर चर्चाएं करती हैं। वित्त विभाग में प्रत्येक विभाग के लिए एक पृथक प्रभाग होता है।

सामान्य स्थिति में वित्त विभाग द्वारा संकलित इन सभी बजट अनुमानों में कोई फेरबदल नहीं किया जा सकता है। यह संकलन ही राज्य के समग्र बजट का हिस्सा बनता है। इसके पुनरीक्षण हेतु इसे आयोजना विभाग को भेजा जाता है और आयोजना विभाग के सुझावों के बाद आवश्यक समझे जाने पर वित्त विभाग अनुमानित आकलन में और सुधार भी कर सकता है।

आरेख 4: बजट का अंतिम रूप से संकलन

बजट को अंतिम रूप दिये जाने से पूर्व वित्त विभाग बजट-पूर्व परामर्श भी करता है। आगामी वर्ष के बजट के संबंध में जरूरी सुझाव प्राप्त करने की दृष्टि से ऐसे परामर्श बुद्धिजीवियों/शैक्षिक व्यक्तियों, गैर सरकारी संस्थाओं, श्रम संगठनों, किसान आदि वर्गों से किये जाते हैं। इसके साथ ही साथ वित्त विभाग आम नागरिकों से भी ऑनलाइन सुझाव आमंत्रित करता है और विभिन्न विभाग प्रमुखों, वित्त मंत्री और वित्त सचिव आदि से भी चर्चा करता है। इसके बाद अंतिम रूप से तैयार यह बजट-अनुमान मैमोरेण्डम के रूप में मंत्रिमण्डल को भेज दिया जाता है। मंत्रिमण्डल के अनुमोदन और दूसरी सभी संवैधानिक औपचारिकताएं विधिवत पूरी कर लेने के बाद अंतिम रूप से तैयार बजट अनुमान को विधानसभा के पटल पर रखा जाता है।

बजट अनुमान के साथ अनेक अन्य दस्तावेज भी तैयार किये जाते हैं। जैसें;

वित्त विभाग द्वारा तैयार किये जाने वाले दस्तावेज

- विस्तृत आकलन व अनुदान-मांगें : ये दस्तावेज 10 भिन्न-भिन्न खंडों में प्रकाशित किये जाते हैं, प्रत्येक खंड में बजट के अलग-अलग हिस्से विस्तार में दिये होते हैं। उदाहरण के लिए, प्रथम खंड में ''राजस्व का सार संक्षेप व विवरण, प्राप्ति व व्यय का ब्यौरा और विभिन्न मदों के अन्तर्गत हुआ भुगतान, अनुदान की मांग और विनियोजन (Appropriation) की अनुसूची शामिल होते हैं, जबकि खंड-2 (जिसे आगे 4 उपखंडों में बांटा जाता है) में सामान्य सामाजिक व आर्थिक सेवाओं के क्रम में राजस्व प्राप्ति व व्यय का विवरण होता है।

- राजकोषीय जवाबदेही और बजट प्रबंधन संबंधी विवरण : बजट के साथ और वर्ष के दौरान एक बार पुन: ''मध्यवर्ती वित्तीय नीतिगत विवरण और नीतिगत रणनीति'' भी प्रस्तुत की जाती है। ये दस्तावेज राजकोषिय जवाबदेही एवं बजट प्रबंधन कानून के तहत निकाले जाते हैं। ये दोनों ही दस्तावेज 5 भागों में विभक्त होते हैं। सारत: इनमें राज्य सकल घरेलू उत्पाद का आकलन, राज्य का वित्त यथा प्राप्तियां व व्यय और घाटे संबंधी ब्यौरा, राज्य की आर्थिक स्थिति का वर्णन, सरकारी विभागों में कर्मचारियों की संख्या व उनका वेतन, राज्य में लागू राजस्व संबंधी नीति, वर्तमान में अनुपालित नीतियों का मूल्यांकन और उनमें किये जाने वाले जरूरी बदलाव आदि शामिल होते हैं।

- वित्त विधेयक: अनुमानित बजट के साथ ही वित्त विधेयक का दस्तावेज भी तैयार किया जाता है।

आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा तैयार किये जाने वाले दस्तावेज

- आय- व्ययक एक दृष्टि में : यह विवरण वित्त विभाग की मदद से तैयार किया जाता है और इसमें आगामी वर्ष में प्राप्ति व व्यय का सारांश होता है। इसमें राज्य की राजकोषीय स्थिति को दिखाने वाले पक्षों जैसे प्राथमिक घाटे, राजकोषीय घाटे आदि पर जानकारी को स्थान दिया जाता है।

- आय- व्ययक अध्ययन : यह दस्तावेज वित्त विभाग के सहयोग से तैयार किया जाता है जिसमें अनुमानित बजट का आरेखित प्रस्तुतीकरण भी शामिल होता है।

- आर्थिक समीक्षा : आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा स्वतंत्र रूप से तैयार इस वार्षिक दस्तावेज में राज्य की वित्तीय व आर्थिक स्थिति की समग्र जानकारी मिलती है। इससे राज्य स्तरीय और विभागवार स्थिति को भी समझा जा सकता है।

स्तर 2 : बजट अधिनियमन

वित्त विभाग द्वारा बजट को अंतिम रूप दिये जाने के पश्चात् बजट अनुमानों को फरवरी/मार्च में वित्त मंत्री द्वारा विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जहां बजट पर विचार विमर्श और मतदान किया जाता है।

आरेख 5 : अनुमोदन एवं फंड की मंजूरी

आरेख 6 : बजट आकलन और अंतिम रूप दिया जाना

आकलन अधिकारियों द्वारा प्राप्ति एवं व्यय विवरण तैयार करना।

समेकित वित्तीय प्रबंधन तंत्र संबंधी आकलन को अपलोड करना जिसे विभागाध्यक्षों एवं प्रशासनिक विभागों द्वारा जांचा जाता है।

वित्त विभाग को भेजे जाने वाले अनुमानित आकलन, जिसे बजट निर्णायक समितियों द्वारा जांचा जाता है।

जांचे गये आकलनों को योजना विभाग को पुनरीक्षण हेतु भेजना।

योजना विभाग की मदद से वित्त विभाग द्वारा बजट को अंतिम रूप दिया जाना।

वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक के माध्यम से बजट को अनुदान संबंधी मंजूरी के लिए राज्यपाल के लिये विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाना।

विधानसभा में प्रस्तुतीकरण के बाद विधानसभा अध्यक्ष द्वारा बजट और बजट दस्तावेजों पर चर्चा के लिए कोई दिवस अथवा अवधि निश्चित की जाती है। इन चर्चाओं की समाप्ति के बाद अनुदान की मांगों पर मतदान करवाया जाता है। ये पूरी प्रक्रिया समाप्त हो जाने पर विनियोग विधेयक को प्रस्तुत व पारित किया जाता है। यह विधेयक राज्य की समेकित निधि से सरकार को खर्च के लिये धन जारी करने के संबंध में होता है। इस विधेयक में विभिन्न विभागों के लिए स्वीकृत अनुदान राशि और इस अनुदान की विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों व मांगों पर की जाने वाली व्यय सीमा ही होती है। इसके बाद यह अधिसूचना शासकीय राजपत्र (Official Gazette) में प्रकाशित की जाती है। अनुदान पारित कर दिये जाने के उपरान्त वित्त विभाग अनुदान आवंटन की आधिकारिक सूचना सभी विभागों को भेजता है।

स्तर 3 : बजट का क्रियान्वयन

राज्यपाल द्वारा बजट की मंजूरी के बाद संबंधित विभागों को सूचना भेजी जाती है। विभिन्न योजनाओं व कार्यक्रमों की क्रियान्विति के लिए धन का वितरण किया जाता है। इसके बाद समय–समय पर बजट उपयोग तथा योजनाओं/कार्यक्रमों की निगरानी भी की जाती है।

धन/ अनुदान का वितरण

विधानसभा में बजट की मंजूरी दिये जाने और अनुदान पारित कर दिये जाने के बाद सभी संबधित विभागों को सूचित किया जाता है। वित्त विभाग प्रत्येक विभाग को भेजे जाने वाली सूचनाओं के साथ–साथ मंजूर की गई आवंटन–राशि का पूरा ब्यौरा IFMS सॉफ्टवेयर में सुरक्षित रखता है।

प्रत्येक विभाग के स्तर पर, बजट नियंत्रक अधिकारी (Budget Controlling Officer) और आहरण एवं भुगतान अधिकारी (Drawing And Disbursal Officer) नियुक्त होते हैं, जो नियत योजनाओं पर होने वाले व्यय को नियंत्रित व निरीक्षण (अवलोकन) करने के लिए अधिकृत होते हैं। प्रशासनिक विभाग द्वारा उक्त दोनों अधिकारियों को उनके नियंत्रण में उपलब्ध राशि की सूचना प्राप्त होती हैं। आहरण एवं भुगतान अधिकारी सरकार की ओर से राजकोष (ट्रेजरी) से राशि आहरित करने के लिए अधिकृत होते हैं, जिससे निर्धारित योजनाओं व गतिविधियों का क्रियांवयन किया जा सके।

निगरानी

बजट की मंजूरी व भुगतान के उपरान्त उक्त योजनाओं की निगरानी महत्वपूर्ण होती है। यह आवश्यक है कि जिस कार्य हेतु बजट जारी किया गया है, उसका व्यय उसी पर किया जाए। यह निगरानी कार्य विभिन्न स्तरों पर किया जाता है। समग्र तथा राज्यीय वित्त के प्रबंधन का उत्तरदायित्व वित्त विभाग का ही होता है। वित्त विभाग के अतिरिक्त बजट नियंत्रण अधिकारी और भुगतान अधिकारी से भी यह अपेक्षित है कि वह भी जारी किये गए धन के नियमसंगत उपयोग पर नजर रखें। वे प्रत्येक मद के तहत होने वाले व्यय का कार्यवार खर्चों को रजिस्टर में दर्ज करते हैं। बजट नियंत्रक अधिकारी प्रत्येक माह विभागीय खर्चों का पूरा विवरण महालेखाकार को भेजते हैं। इसी तरह आहरण व भुगतान अधिकारी भी ऐसे विवरणों को बजट नियंत्रक अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। इन्हीं विवरणों के आधार पर महालेखाकार द्वारा वित्त विभाग के लिए मासिक प्राप्ति व व्यय संबंधी समग्र विवरण तैयार किया जाता है।

इसी तरह से मनरेगा जैसी योजनाओं की प्रबंध सूचना तंत्र के मार्फत इनके प्रबंधन हेतु रिपोर्ट तैयार की जाती है। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा मुख्यमंत्री सूचना तंत्र (सी.एम.आई.एस.) के माध्यम से बजट घोषणाओं के कार्यान्वयन की निगरानी की जाती है।

केन्द्र सरकार की योजनाओं की निगरानी सार्वजनिक वित्त प्रबंधन तंत्र (Public Financial Management System- PFMS) के द्वारा की जाती हैं। किसी विशिष्ट योजना के लिए राज्य व केन्द्र सरकार दोनों से प्राप्त बजट राशि को इस निधी में जमा किया जाता है, जिससे इनके उपयोग की निगरानी आसान हो जाती है।

स्तर 4 : अंकेक्षण

भारतीय संविधान के अनुच्छेद–150 के अनुसार, प्रत्येक राज्य में महालेखाकार, नियंत्रक एवं महालेखा परिक्षक के अतंर्गत अंकेक्षण के लिए अधिकृत है। राज्य सरकार की जवाबदेही व पारदर्शिता को स्थापित करने के लिए ऐसे अंकेक्षण व लेखा संबंधी जरूरतों को पूरा करना अपेक्षित है।

राजस्थान सरकार के मासिक लेखा विवरणों के संकलन, राज्य के खजाने (ट्रेजरी) के निरीक्षण, विनियोजन (एप्रोप्रियशन) लेखा, वित्तीय लेखा जैसे विभिन्न लेखा विवरणों को तैयार करने के लिए महालेखाकार कार्यालय जिम्मेदार है। इन विवरणों को तैयार करने के लिए आवश्यक सूचनाएं बजट नियंत्रक अधिकारियों से प्राप्त की जाती हैं। ये सभी कार्य वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अप्रेल माह की शुरुआत में सम्पन्न किये जाते हैं। विनियोजन लेखा की अंतिम प्रति वित्त विभाग को आवश्यक जांच के लिए भेजी जाती है। इसी आधार पर वित्त विभाग अन्य विवरणों को तैयार कर वित्त मंत्रालय (भारत सरकार) को प्रस्तुत करता है। आसान शब्दों में महालेखाकार कार्यालय ही अंकेक्षित रिपोर्टों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार है, जिसमें राज्य सरकार के विनयोजन लेखा में पाई गई विभिन्न बजट संबंधी अनियमितताओं का भी हवाला होता है।

अध्याय–3 :
बजट की विधायी जांच

विधानसभा द्वारा ही विनियोग विधेयक को पारित कर बजट का अनुमोदन एवं अनुदान की मंजूरी दी जाती है। ऊपर दिये विवरण के अनुरूप बजट अनुमान की तैयारी एवं विधानसभा के पटल पर इसे रखे जाने के बाद अनेक चरणों की चर्चाओं और अनुदान मागों पर मतदान के पश्चात् ही धन जारी किया जाता है। इस प्रकार विधानसभा के अनुमोदन के बिना कोई भी कार्यक्रम या योजना का संचालन नहीं किया जा सकता क्योंकि विधिवत मंजूरी के अभाव में राजकोष (ट्रेजरी) से किसी निधि का आहरण संभव नहीं है। महालेखाकार कार्यालय द्वारा एक बार विनियोजन व वित्तीय लेखा तैयार करने के बाद विधानसभा बजट जांच निकाय के रूप में भी कार्य करती है। यह कार्य लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee) द्वारा किया जाता है।

विधानसभा के स्तर पर सार्वजनिक लेखा समिति उन 22 समितियों में से एक है, जिसे विधानसभा अथवा विधानसभा अध्यक्ष द्वारा गठित किया जाता है। यह समिति मंजूर किये गए अनुदान के उपयुक्त उपयोग को सुनिश्चित करने की दृष्टि से विनियोजन लेखा व ऐसे अन्य लेखा विवरणों की जांच करती है। इसके अतिरिक्त यह समिति इस पक्ष का भी जांच करती है कि विशिष्ट सेवा अथवा योजना के लिए मंजूर अनुदान को उन्हीं निर्धारित कार्यक्रमों व गतिविधियों पर ही खर्च किया जा रहा है अथवा नहीं। साथ ही यह भी देखती है कि किसी विभाग को क्या कुछ अतिरिक्त धन भी उपलब्ध है और इसे जांचेगी कि कहीं प्रारम्भिक रूप से जारी अनुदान–राशि से अधिक राशि का व्यय तो नहीं किया जा रहा है। इसलिए लेखा परीक्षण का कार्य मात्र महालेखाकार कार्यालय द्वारा ही सम्पादित नहीं होता, बल्कि लोक लेखा समिति द्वारा भी इसे किया जाता है।

लोक लेखा समिति के अलावा आंकलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति भी बजट संबंधी प्रक्रिया से जुड़ी होती हैं। योजना अथवा कार्यक्रम के निर्माण के स्तर पर ही नहीं, बल्कि इसकी क्रियान्विति व निगरानी कार्य से भी ये समितियां जुड़ी होती हैं। ये समितियां क्रमशः राज्य बजट आकलनों के साथ–साथ सार्वजनिक उपक्रमों के प्रतिवेदनों और लेखों की जांच के लिए भी उत्तरदायी होती हैं। महिला एवं बाल विकास, अल्पसंख्यक कल्याण, आचार, याचिकाओं, आवास, ग्रंथालय जैसे विभिन्न विषयों/क्षेत्रों के लिए भी समितीयां गठित हैं। ये सभी समितियां 3 प्रकार की होती हैं। स्थायी समिति (Standing Committee), तात्कालिक समिति (Adhoc Committee) और संसदीय सलाहकार समितियां (Parliamentary Consultative Committees)। स्थायी समितियों को आगे वित्तीय एवं अन्य उपसमितियों में बांटा गया है। लोक लेखा समिति (PAC), आकलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति की गिनती स्थायी समिति (Standing Committee) के वित्तीय वर्ग में की जाती है। इनका वर्णन तालिका–2 में दिया गया है:

हालांकि ये समितियाँ गठित हैं लेकिन इनकी बैठकों के कार्यक्रम के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। इन समितियों की बैठकों के आयोजन का विवरण भी सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध नहीं रहता है। इसलिये इन समितियों के गतिविधियों को जान पाना मुश्किल होता है।

तालिका 2 :

	समिति का स्वरूप	विषय-क्षेत्र	विवरण
राज्य की बजट संबंधी प्रक्रिया से संबद्ध	स्थायी वित्तीय समिति	लोक लेखा, आकलन, अनुमान, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	लेखा (यथा विनियोजन, वित्त आदि), बजट आकलन और रिपोर्ट एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखा की जांच के लिए जिम्मेवार
अन्य क्षेत्रों/विषयों से संबद्ध	स्थायी वित्तीय कमेटी	अप्रमुख कानून (Subordinate Legislation), अ.जा. एवं अ.ज.जा. कल्याण, कार्य परामर्श, आवास, नियम, ग्रंथालय, याचिकाएं, विशेषाधिकार, सरकारी आश्वासन, आम प्रयोजन, प्रश्न एवं संदर्भ, महिला एवं बाल कल्याण	ये समितियां नाम के अनुरूप विषय को देखती हैं।
	अस्थाई	प्रवर समिति (Select Committee)	ये कमेटी विधेयक और उसके प्रावधानों को जांचती है और विशेष विचारों/सुझावों को भी आमंत्रित करती है।
	संसदीय सलाहकार समिति	अल्पसंख्यक कल्याण, स्थानीय निकाय और पंचायतीराज संस्थाएं, पर्यावरण, आचार/व्यवहार	ये समितियां सरकार द्वारा अल्पसंख्यक कल्याण, स्थानीय निकायों और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में किये प्रयासों को जांचती हैं। पंचायतीराज संस्थाओं के वित्तीय लेखों का विश्लेषण करती है। आचार समिति विधानसभा के विभिन्न सदस्यों के आचार व्यवहार से जुड़े मामलात का संज्ञान लेती है।

बॉक्स 4 : बजट से इतर निधि एवं देनदारियां

बजट से इतर निधि वे निधि हैं जो सरकार की समेकित निधि और बजट संबंधी प्रक्रियाओं के दायरे से बाहर होते हैं और जो बजट दस्तावेजों में उल्लिखित नहीं होते। इन्हें दो वर्गों में बांटा जा सकता है ''बजट इतर देनदारियां'' और ''राज्य के बजट से इतर लोक संसाधन'' वित्तीय वर्ष 2013-14 तक केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता बजट से बाहर धन के रूप में दी जाती रही है। तब इस निधि पर राज्य की राजकोष संबंधी बाध्यकारी व्यवस्थाएं लागू नहीं होतीं थी और इसे सीधे संबंधित समितियों के खातों में अंतरित कर दिया जाता था। वित्तीय वर्ष 2014-15 से यह व्यवस्था लगभग पूरी तरह बंद कर दी गई है। अब केन्द्र सरकार से प्राप्त होने वाले सभी अनुदान राज्य राजकोष (ट्रेजरी) के माध्यम से ही प्राप्त होते हैं, जहां से इस फंड को या तो सीधे जिलों की ट्रेजरी या फिर संबंधित समितियों के खातों में अंतरित कर दिया जाता है। संसदीय स्थानीय क्षेत्र विकास (MPLAD), मनरेगा की मजदूरी का मद और पीएमएमवीई (PMMVY) में लाभार्थी अंश का मद ही अपवाद स्वरूप राज्य बजट के बाहर दिये जाते हैं।

डीएमएफटी (DMFT), कैम्पा (CAMPA) एवं बीओसीडब्ल्यू (BOCW) फंड

ये वो निकाय हैं जिन्हें क्रमश: खनन एवं वनों के कटाव से प्रभावित वर्ग और निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों के कल्याण के उद्देश्य से गठित किया गया है। ये निकाय सेस के रूप में प्राप्त धन को पृथक रूप से संधारित करते हैं। सेस के रूप में प्राप्त फंड को लोक-लेखा में अलग से दर्शाया जाता है और ये फंड सरकार के समेकित फंड की सीमा में नहीं आते तथा ये फंड राज्य बजट के अंग नहीं होते। इसके साथ ही साथ, सांसद के संसदीय स्थानीय क्षेत्र (MPLAD), मनरेगा में मजदूरी भुगतान का फंड और पीएमएमवीई (PMMVY) के तहत लाभार्थी हेतु आवंटित फंड लोक संसाधनों के हिस्से हैं, जो राज्य के बजट से अलग होते हैं।

सरकार की बजट-इतर देनदारियां

ये देनदारियां तब पैदा होती हैं जब राज्य सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों जैसे- विद्युत वितरण कम्पनियों (DISCOM) द्वारा लिये गये ऋण के लिये गारंटी देती है।

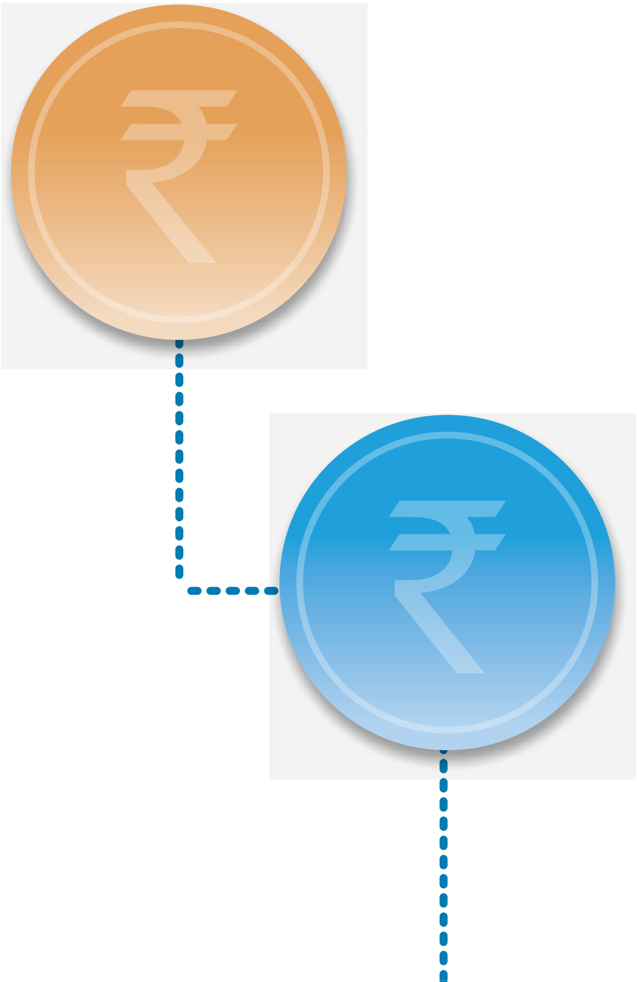

अध्याय-4 : सामाजिक संस्थाओं की बजट-प्रक्रिया से जुड़ाव की संभावनाएं

बजट प्रक्रिया के सभी चरणों में संबंधित विभाग की भागीदारी होती है और इस प्रक्रिया में विभागाध्यक्ष, प्रशासनिक विभाग, वित्त विभाग और आयोजना विभाग द्वारा विधिवत जांच परीक्षण की जाती है। इस प्रक्रिया को अधिकाधिक सहभागी बनाने की प्रक्रिया में बजट-पूर्व परामर्श बैठक का आयोजन होता है और बजट-निर्माण के लिए आमजन से भी सुझाव आमंत्रित किये जाते हैं। राजस्थान में इस प्रक्रिया में सामाजिक संस्थाओं की भागीदारी को और बेहतर बनाने की संभावना भी है। बजट प्रक्रिया के प्रत्येक चरण पर सामाजिक संस्थाएं नागरिकों की जरूरतों का प्रतिनिधित्व कर सकती हैं।

बजट-निर्माण

अध्याय-2 में दिये विवरण के अनुसार, बजट निर्माण की प्रक्रिया को दो चरणों में बांटा गया है, बजट आकलन व योजना तथा बजट निर्माण। हालांकि इस चरण में सामाजिक संस्थाओं की भागीदारी के कुछ प्रावधान पहले से मौजूद हैं, वहीं इन संस्थाओं की सहभागिता को और भी बढ़ाया जा सकता है।

- वर्तमान में सरकार द्वारा किये गए प्रयास: मुख्यमंत्री द्वारा सामाजिक संस्थाओं को बजट पूर्व बैठकों में आमंत्रित किया जाता है। वित्त विभाग द्वारा नागरिकों से ऑनलाइन भी सुझाव आमंत्रित किये जाते हैं। लेकिन ये बैठकें आम तौर पर अनुमानित बजट तैयार कर लेने के बाद और वित्त विभाग द्वारा बजट को अंतिम रूप से संकलित किये जाने से तुरंत पहले ही बुलाई जाती हैं।

- सामाजिक संस्थाओं के जुड़ाव के संभावित तरीके: सरकार द्वारा बजट-पूर्व कार्यशाला तब आयोजित की जा सकती हैं जब बजट अनुमान तैयार किये जा रहे हों (नवम्बर या दिसम्बर में)। इस तरह लोगों की मांगों व अपेक्षाओं से संबंधित विभागों को पहले ही सूचित किया जा सकता है। सामाजिक संस्थाएं ऑनलाइन सुझाव प्रेषित करने की सुविधा का लाभ उठा सकती हैं तथा वित्त विभाग को भी अपने विशेष सुझाव बजट में शामिल करने के लिए पहले ही भेज सकती हैं।

बजट का अधिनियमन

यह विधायी विचार-विमर्श का चरण है। पहले बजट पेश होता है उसके बाद चर्चाएं शुरू होती हैं।

- सहभागिता का मौजूदा स्तर: इस स्तर पर अभी सामाजिक संस्थाओं का विशेष जुड़ाव नहीं है, अलबत्ता कुछ संगठन जो विशेष रूप से बजट पर कार्य करते हैं वह अवश्य कुछ योगदान कर रहे हैं।

- सामाजिक संस्थाओं की सक्रियता के संभावित तरीके: सामाजिक संस्थाएं, बजट प्रस्तुतीकरण के दौरान नागरिक जरूरतों को पूरा करने की दृष्टि से बजट-प्रावधानों का विश्लेषण कर सकती हैं। बजट पर चर्चाओं के दौरान सामाजिक संस्थाएं खासकर ऐसे विधायकों तक अपने विचार/सुझाव पहुंचा सकती हैं जो विधायक चर्चाओं के दौरान मुखर रहते हैं।

क्रिर्यान्वयन एवं निगरानीः

यह स्वीकृत अनुदानों के भुगतान और विभिन्न योजनाओं और गतिविधियों के क्रियान्वयन के साथ-साथ निधि के निगरानी का चरण भी है।

- सक्रियता का मौजूदा स्तरः इस स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों का लाभ लाभार्थी तक पहुंचाने में लोगों की मदद के रूप में सामाजिक संस्थाओं की कुछ सक्रियता देखी जा सकती है।

- सामाजिक संस्थाओं की सक्रियता के संभावित तरीकेः सामाजिक संस्थाएं बजट-घोषणाओं की निगरानी कर सकती हैं और यह सुनिश्चित कर सकती हैं कि वास्तविक क्रियान्वयन बजट-घोषणाओं के अनुरूप हो। इसके लिए ये सामाजिक संस्थाएं, जिला, ब्लॉक, पंचायत और शहरी निकाय स्तर पर भी कार्यान्वयन से जुड़े अधिकारियों के साथ काम कर सकती हैं। ये प्रबंध सूचना तंत्र से प्राप्त रिपोर्टों, आंकड़ों (जहां उपलब्ध हों) की निगरानी में भी सहयोग कर सकती हैं। बजट व्यय, योजनाओं और कार्यक्रमों की क्रियान्विति की निगरानी के लिए सामाजिक संस्थाएं बजट ट्रेकिंग, रिपोर्ट कार्ड जैसे उपकरणों का प्रयोग भी कर सकती है।

अंकेक्षणः

महालेखाकार कार्यालय सभी सार्वजनिक, विधायी और कार्यपालिका से जुड़े हितधारकों की जवाबदेही और पारदर्शिता को सतत बढ़ावा देने व स्थापित करने के लिए अंकेक्षण कार्य सम्पादित करता है।

- कार्यकुशलता का मौजूदा स्तरः इस स्तर पर मौजूदा समय में सामाजिक अंकेक्षण और जनसुनवाई के रूप में भी अंकेक्षण के कार्य किये जाते हैं।

- सामाजिक संस्थाओं की सक्रियता के संभावित तरीकेः नागरिक संस्थाएं अंकेक्षण रिपोर्ट का गहन विश्लेषण कर उभरे महत्वपूर्ण मुद्दों को रेखांकित कर सकती हैं। वे सरकार द्वारा आयोजित किसी भी सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया में भागीदारी कर सकती हैं। यदि क्षेत्र में ऐसी कोई भी प्रक्रिया चल न रही हो तो ऐसे में नागरिक संस्थाएं स्वयं पहल कर सामाजिक अंकेक्षण व जनसुनवाई का कार्य भी कर सकती हैं। इसके साथ ये संस्थाएं महालेखाकार कार्यालय को **GRB, TSP, SC-SP** जैसे महत्वपूर्ण बजट प्रावधानों (जो अभी अंकेक्षण कार्य से वंचित है) के लिए भी बजट-अंकेक्षण का कार्य हाथ में लेने का सुझाव दे सकती हैं।

विधायी समितियों के साथ जुड़ावः

वर्तमान में कुल 22 विधायी समितीयां कार्य कर रही हैं, जिनमें से लोक लेखा समिति (PAC) बजट के मामले में सबसे महत्वपूर्ण है।

- वर्तमान प्रक्रिया में सरकारी प्रयासः इस स्तर पर सामाजिक संस्थाओं की भागीदारी का प्रावधान नहीं है।

- सामाजिक संस्थाओं के जुड़ाव के तरीकेः उनकी बैठकों, रिपोर्टों आदि का ब्यौरा सार्वजनिक रूप से मौजूद नहीं होता। यह प्रक्रिया पारदर्शी नहीं कही जा सकती और इन समितीयों के कार्य को लेकर कोई जानकारी नहीं रहती। सामाजिक संस्थाएं इन समितीयों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता व जवाबदेही को और बढ़ाने की वकालत कर सकती हैं।

- बजट-इतर फंड का जांच परीक्षणः नागरिक संस्थाओं की भागीदारी का प्रावधान केवल बजट संबंधी प्रक्रियाओं तक सीमित रखा गया है। हांलाकि जैसा कि बॉक्स-4 में प्रदर्शित है बजट-इतर निधि का भी प्रावधान रहता है जो बजट की औपचारिक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होतीं।

इसलिये बजट-इतर निधि को लेकर, सामाजिक संस्थाएं इस निधि की जांच परीक्षण में अहम भूमिका निभा सकती हैं। वे इन पक्षों की जांच कर सकती हैं कि **MPLAD, PMMVY** और मनरेगा जैसी केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का लाभ लक्षित समुदाय तक पहुंच रहा है अथवा नहीं और क्या खनन कार्यों से प्रभावित लोगों/क्षेत्रों को **DMFT** से लाभ हो रहा है अथवा नहीं। ये संस्थाएं कार्यशालाओं और जनसुनवाई के कार्यक्रम भी आयोजित कर सकती हैं।

तालिका 3 : नागरिक संस्थाओं की बजट प्रक्रिया में भागीदारी की संभावनाएं

बजट निर्माण	नागरिक संस्थाओं द्वारा हस्तक्षेप की संभावना	जनभागीदारी के लिये वर्तमान प्रयास
बजट आकलन और योजना की तैयारी	बजट-पूर्व परामर्श बैठकें आयोजित किया जाना और बैठकों से उभरी मांगों/जरूरतों को संबंधित विभागों तक पहुंचाना	
बजट तैयार किया जाना	नागरिक संस्थाएं ऑनलाइन सुझाव भेजने और वित्त विभाग से जुड़ाव के प्रावधानों का लाभ उठाएं	बजट-पूर्व बैठकों में भागीदारी हेतु नागरिक संस्थाएं आमंत्रित की जाती हैं। ऑनलाइन सुझाव भी मांगे जाते हैं।
बजट का सदन में पेश किया जाना एवं पारित होना	• जब बजट सदन में पेश होता है तो सामाजिक संस्थाएं यह विश्लेषण कर सकती हैं कि बजट लोगों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप है या नहीं। • जब सदन में बजट पर चर्चा होती है तब सामाजिक संस्थाएं संबंधित विधायकों को अपने विचार व सुझाव बता सकती हैं, खासकर उन विधायकों को जो चर्चा में मुखरता से अपना पक्ष रखते हैं।	
बजट का क्रियान्वयन	• बजट घोषणाओं को ध्यान में रखें और और यह देखें कि बजट में की गई घोषणाओं को सरकार लागू कर रही है। • जिला, ब्लॉक, पंचायत और शहरी निकाय के स्तर पर क्रियान्वयन से जुड़े अधिकारियों (यथा आहरण और भुगतान अधिकारियों) से जुड़े रहें। • जहां उपलब्ध हो मुख्यमंत्री प्रबंध सूचना तंत्र के लिये विभागों द्वारा तैयार रिपोर्टों व आंकड़ों को प्राप्त कर उनका विश्लेषण करे। • योजनाओं के क्रियान्वयन पर रिपोर्ट कार्ड बनाएं।	
अंकेक्षण	• अंकेक्षण रिपोर्ट का विश्लेषण और इनमें उभरे प्रमुख बिन्दुओं को सामने लाना। • सरकार कहीं सामाजिक अंकेक्षण करवा रही है तो उसमें भागीदारी। • यदि ऐसा कोई भी अंकेक्षण न चल रहा हो तो संस्थाएं स्वयं भी सामाजिक अंकेक्षण व जनसुनवाई के कार्यक्रम रख सकती हैं। • सामाजिक संस्थाएं महालेखाकार से उन विषयों के अंकेक्षण की मांग कर सकती हैं, जिनका फिलहाल अंकेक्षण नहीं होता, जैसे अनु. जाति एवं जनजाति उपयोजनाएं।	
विधायी समितीयों के साथ जुड़ाव	• विधायी समितीयों के कार्यों में अधिकाधिक पारदर्शिता व जवाबदेही की वकालात करना। • रिपोर्ट कार्ड बनाना।	
बजट-इतर निधि की जांच/ परीक्षण	• गैर बजट निधि की जांच। • यह देखना कि सांसद निधि, प्र.मा.व. योजना, (PMMVY) और मनरेगा के लिए जारी केन्द्रीय बजट का लाभ सीधे लाभार्थी को प्राप्त हो रहा है या नहीं। • यह देखना कि जिला खनिज निधि और कैम्पा का सही उपयोग हो रहा है या नहीं। • इन निधीयों पर कार्यशालाओं व जनसुनवाई का आयोजन।	

शब्दावली

बजट फाईनलाईजेशन कमेटी (बीएफसी): बजट निर्माण प्रक्रिया में वित्त विभाग की सहायता हेतु प्रत्येक विभाग के लिए एक बीएफसी का गठन किया जाता है। राज्य के विभागों से प्राप्त बजट अनुमानों की छंटनी एवं उन्हे अंतिम रुप देने का कार्य बीएफसी के द्वारा किया जाता है। इस कमेटी में राज्य के संबंधित विभाग के उच्चाधिकारी एवं अन्य विभागों के अधिकारी शामिल किए जाते हैं। बीएफसी द्वारा अंतिम रुप से निर्धारित किए गये बजट आंकड़ों को कुछ अतिविशेष परिस्थितियों को छोड़कर संशोधित नहीं किया जा सकता है। आमतौर पर एक विभाग में एक बीएफसी का गठन किया जाता है लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में एक से अधिक बीएफसी का गठन किया जा सकता है।

समेकित निधी (Consolidated Fund): यह राज्य सरकार की आय एवं व्यय के लिए सबसे बड़ी निधी अथवा खाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 (1) में परिभाषित इस खाते से खर्च करने के लिए आवश्यक धन विधानसभा की अनुमति से ही निकाला जा सकता है। राज्य सरकार की करों से प्राप्त आय, अन्य प्राप्तियां जैसे सरकारी सम्पत्तियों की बिक्री से प्राप्त राशि, सरकार द्वारा दिये गये ऋण की वसूली, सरकारी विभागों के संचालन एवं इनके द्वारा चलाई जा रही योजनाओं पर किया जाने वाला सरकारी व्यय इत्यादि समेकित निधी में से ही जमा व खर्च किए जाते हैं। आमतौर पर राज्य का अधिकांश बजट समेकित निधी में शामिल रहता है।

आकस्मिकता निधी (Consolidated Fund) : भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267(2) में परिभाषित इस निधी में से वित्तीय वर्ष के बीच में राज्य में होने वाली बड़ी घटनाओं/आपदाओं के लिए धन संबंधित जरुरतों को पूरा किया जाता है। इस खाते से धन निकालने से पूर्व विधानसभा की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर राज्यपाल की अनुमति से इस खाते से राशि निकाली जा सकती है। इसके बाद उक्त राशि के बराबर धनराशि समेकित निधी में से विधानसभा की अनुमति द्वारा निकाली जाती है और आकस्मिकता निधी में वापिस जमा कर दी जाती है।

लोक खाता (Public Account): भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266(2) में परिभाषित लोक खाते में सरकार को जनता से प्राप्त जमाएं (समेकित निधी में प्राप्त जमाओं को छोड़कर) शामिल होती हैं। लघु बचत, भविष्य निधी एवं आरक्षित फंड आदि के रुप में इस खाते में जमा राशि हेतु सरकार एक बैंकर अथवा ट्रस्टी के रुप में कार्य करती है जिनकी परिपक्वता (Mature) अवधि पूरी होने पर सरकार द्वारा जमाकर्ता को यह राशि ब्याज सहित लौटा दी जाती है।

राजस्व प्राप्तियां: आमतौर पर राजस्व प्राप्तियों की प्रवृति सरकार को प्रतिवर्ष होने वाली आय के रुप में होती है जिन्हे किसी को वापिस लौटाया नहीं जाना होता है। अत: राजस्व प्राप्तियों से सरकार की देनदारियों (Liabilities) पर किसी प्रकार का असर नहीं होता है।

राजस्व व्यय: आमतौर पर राजस्व व्यय सरकार द्वारा नियमित रुप से किए जाने वाले भुगतान एवं खर्चों के रुप में होता है जैसे– सरकारी विभागों के संचालन पर किए जाने वाला प्रशासनिक व्यय, कर्मचारियों के वेतन–भत्ते, ब्याज अदायगियां, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर व्यय इत्यादि। चूंकि राजस्व व्यय के द्वारा राज्य में किसी प्रकार की स्थाई संपत्ति का निर्माण नहीं किया जाता है अत: इस व्यय के कारण राज्य की स्थाई संपत्तियों पर किसी प्रकार का असर नहीं पड़ता है।

पूंजीगत प्राप्तियां: इसके अंतर्गत सरकार द्वारा स्थाई भौतिक सम्पत्तियों को बेचने से प्राप्त राशि, सरकारी शेयर एवं डिबेन्चर्स की बिक्री से प्राप्त राशि के अलावा राज्य द्वारा केन्द्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक तथा अन्य स्रोतों से लिया गया कर्ज शामिल किया जाता है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा ऋण की वसूली, उधार एवं अग्रिम के तहत प्राप्त राशि भी सरकार की पूंजीगत प्राप्तियों में शामिल की जाती हैं।

पूंजीगत व्यय: सरकार द्वारा किए जाने वाले खर्चे में से कुछ व्यय ऐसे होते हैं जिनसे राज्य में स्थाई सम्पत्तियों जैसे सरकारी कार्यालय, विद्यालय भवन, चिकित्सालय एवं पुल इत्यादि का निर्माण करवाया जाता है अथवा नई मशीनरी, संयत्र, उपकरण आदि खरीदे जाते हैं, इस प्रकार का सरकारी व्यय पूंजीगत व्यय में शामिल किया जाता है। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा बकाया ऋण के पुनर्भुगतान हेतु दी गई राशि भी पूंजीगत व्यय में शामिल की जाती है।

राजस्व घाटा (Revenue Deficit) : जब राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों की तुलना में कुल राजस्व व्यय अधिक होता है तो इसे राज्य अर्थव्यवस्था में राजस्व घाटा कहा जाता है।

पूंजीगत घाटा (Capital Deficit) : जब राज्य की कुल पूंजीगत प्राप्तियों की तुलना में कुल पूंजीगत व्यय अधिक होता है तो इसे राज्य अर्थव्यवस्था में पूंजीगत घाटा कहा जाता है।

बजट घाटा (Budget Deficit) : जब राज्य की कुल प्राप्तियों (राजस्व+पूंजीगत) की तुलना में कुल व्यय (राजस्व + पूंजीगत) अधिक होता है तो इसे राज्य अर्थव्यवस्था में बजट घाटा कहा जाता है।

राजकोषीय घाटा/वित्तीय घाटा (Fiscal Deficit) : राज्य की कुल प्राप्तियों, जिनमें लिया गया ऋण शामिल नहीं है की तुलना में कुल व्यय अधिक होने पर इसे राजकोषीय घाटा कहा जाता है। आमतौर पर राज्य अर्थव्यवस्था की स्थिति का आंकलन राजकोषीय घाटे के आधार पर किया जाता है।

प्राथमिक घाटा (Primary Deficit) : राजकोषीय घाटे में राज्य द्वारा चुकाई गई ब्याज अदायगियों को घटाने पर प्राप्त परिणाम प्राथमिक घाटा कहलाता है। अर्थात
राजकोषीय घाटा – ब्याज अदायगियां = प्राथमिक घाटा

राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम (FRBM Act) 2003 : यह अधिनियम केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय अनुशासन लागू करने, राजकोषीय घाटे को कम करने एवं अर्थव्यवस्था में बजट संतुलन के माध्यम से सम्पूर्ण प्रबंधन को सुव्यवस्थित करने के लिए लागू किया गया था, जिसे राज्य सरकारों द्वारा भी लागू किया गया। राज्य की फिजूलखर्ची को रोकने एवं राज्य पर बकाया कर्ज में कमी लाने के लिए इस अधिनियम के तहत राज्य के राजस्व घाटे को शून्य एवं राजकोषीय घाटे को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत तक लाना लक्षित किया गया है।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (Gross State Domestic Product – GSDP) : किसी एक निश्चित समय अवधि (आमतौर पर एक वर्ष) में राज्य की सीमाओं के भीतर उत्पादित होने वाली समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, सकल राज्य घरेलू उत्पाद कहलाता है। इसके आधार पर राज्य की अर्थव्यवस्था के आकार का आंकलन किया जाता है। इसके आंकलन में यह ध्यान रखा जाता है कि किसी भी वस्तु अथवा सेवा के मौद्रिक मूल्य का आंकलन दो बार न किया जाए।

दत्तमत व्यय (Voted Expenditure) : सरकार द्वारा किए जाने वाले अधिकतर व्यय ऐसे होते हैं जो कि विधानसभा में मतदान द्वारा ही स्वीकृत किए जाते हैं। दत्तमद व्यय के अधीन रखी गई राशि में मतदान के द्वारा कटौती की जा सकती है लेकिन इनमें बढ़ोतरी नहीं की जा सकती।

प्रभृत व्यय (Charged Expenditure) : सरकार द्वारा किए जाने वाले ये ऐसे व्यय होते हैं जो कि संविधान के अनुच्छेद 203(3) के अन्तर्गत संचित निधि पर अनिवार्य रुप से प्रभारित हैं। इन प्रभारों पर मतदान नहीं होता है तथा ना ही इस श्रेणी में व्यय हेतु रखी गई राशि को कम किया जा सकता है जैसे राज्यपाल, विधानसभा, उच्च न्यायलय, लोक सेवा आयोग आदि से संबंधित व्यय।

विनियोग विधेयक (Appropriation Bill) : संचित निधी से कोई भी धन तब तक नहीं निकाला जा सकता है जब तक कि वह पूर्णतया कानून सम्मत न हो। अतः सरकार संचित निधि से धन निकालने हेतु कानूनी अधिकार प्राप्त करने के लिए विधानसभा में विनियोग विधेयक पारित करवाती है। बजट मांगें पारित होने के बाद बजट मांगों से संबंधित विधेयक विधानसभा में रखा जाता है जो कि विनियोग विधेयक कहलाता है। यह विधेयक विधानसभा में पारित होने के बाद ही सरकार को संबंधित राशि खर्च करने का कानूनी अधिकार प्राप्त होता है।

वित्त विधेयक (Finance Bill) : कानूनी रुप से अधिकृत हुए बिना किसी भी प्रकार का कर सरकार नहीं लगा सकती है और न ही एकत्रित कर सकती है। अतः नये कर लगाने अथवा उनकी वसूली करने हेतु सरकार कानूनी अधिकार प्राप्त करने के लिए विधानसभा में वित्त विधेयक पारित करवाती है। बजट मांगें पारित होने के बाद वित्त विधेयक विधानसभा में पेश किया जाता है जिसे पारित करवाने के बाद ही सरकार जनता से नये करों के रुप में राजस्व वसूली के लिए कानूनी रुप से अधिकृत होती है।

समेकित वित्तीय प्रबंधन तंत्र (IFMS) :
यह एक बजट और अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा सरकार के बजट, खर्च, भुगतान आदि का प्रबंधन किया जाता है।

संदर्भ

Das, S. (2007). *Let's Talk About Budget*. Centre for Budget and Governance Accountability.

Dhara, T. and Ahmad, N. (2018). *Budget Transparency at the District Level in Rajasthan*. Budget Analysis Rajasthan Centre.

Department, F. (2012). *Budget Manual Volume I*. 7th ed. Finance Department.

Department, F. (2018). *State Budget 2018-2019 (Volume 2b: Revenue Expenditure — General Services)*. Finance Department.

Department, F. (2018). *State Budget 2018-2019 (Volume 2c-1: Revenue Expenditur — Social Services Part I)*. Finance Department.

Department, F. (2018). *State Budget 2018-2019 (Volume 2c-2: Revenue Expenditure — Social Services Part II)*. Finance Department.

Department, F. (2018). *State Budget 2018-2019 (Volume 2d: Revenue Expenditure — Economic Services)*. Finance Department.

Department, F. (2018). *State Budget 2018-2019 (Volume 4b-1: Grant/Loan/Investment Part I)*. Finance Department.

बंसल, मुकेश कुमार (2010), बजट अध्ययन: एक परिचय, बजट अध्ययन राजस्थान केंद्र
राव, महेंद्र सिंह (2018), कैसे समझें सरकार का बजट, बजट अध्ययन राजस्थान केंद्र

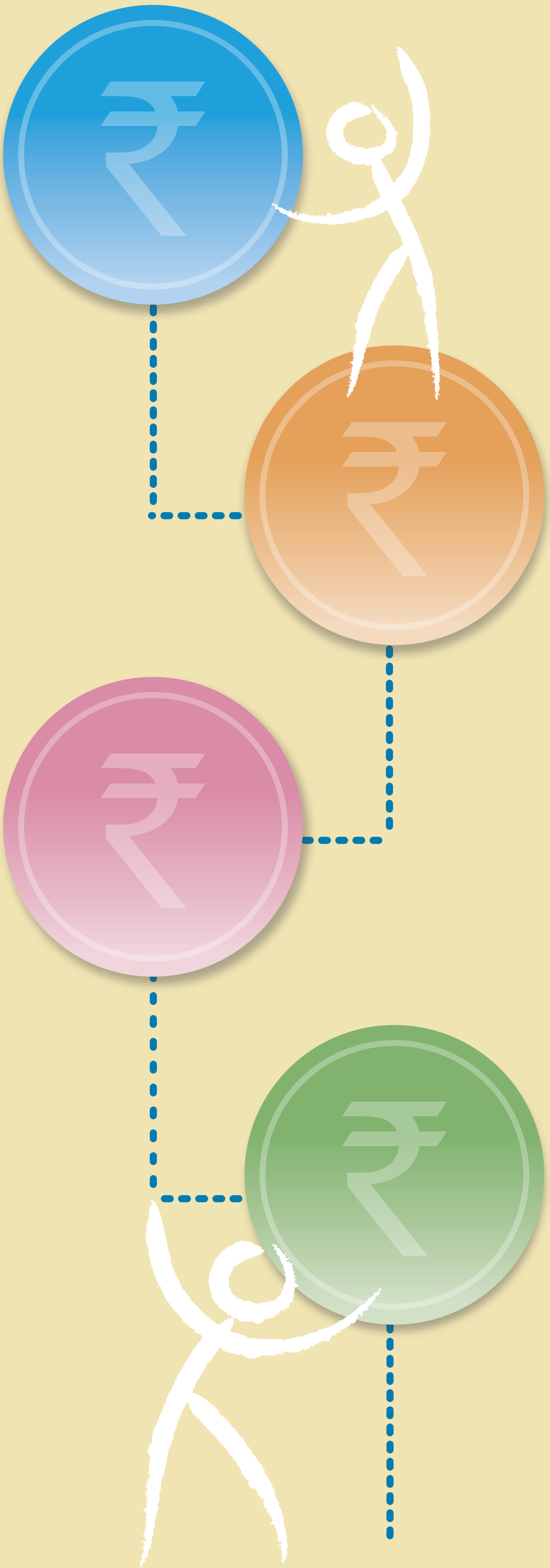

बजट अध्ययन एवं अनुसंधान केन्द्र (बार्क) ट्रस्ट, बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र का नया अवतार है। मूल रुप से बार्क की स्थापना राज्य में बजट एवं सामाजिक व आर्थिक नीतियों पर अनुसंधान एवं विश्लेषण कार्य को आगे बढ़ाने के लिये की गयी है। बजट अध्ययन एवं नीति अनुसंधान केन्द्र के तौर पर बार्क की स्थापना 2003 में की गयी थी। इसका प्रमुख उद्देश्य राज्य में बजट एवं संबंधीत नीतिगत मुद्दों पर विश्लेषण करने के साथ यह देखना है कि सरकार द्वारा विभिन्न मंचों (नीतिगत दस्तावेजों, चुनावी घोषणा पत्रों एवं अंतर्राष्ट्रीय मंच) पर किये गये वादों के अनुरुप बजट में पर्याप्त वित्तीय प्रावधान किये गये हैं या नहीं।

बार्क मुख्य रुप से राज्य बजट का अध्ययन एवं विश्लेषण गरीब लोगों एवं समाज के वंचित वर्गों (जैसे- दलितों, आदिवासियों, महिलाओं एवं बच्चों आदि) के परिपेक्ष्य में करता है। बार्क पंचायतीराज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों के साथ भी कार्य कर रहा है। इसके अलावा बार्क अपने अनुसंधान एवं प्रशिक्षण कार्यों के माध्यम से स्वयंसेवी संस्थाओं, जन संगठनों एवं मिडिया समूहों के बजट संबंधी मामलों में एक संसाधन केन्द्र के रुप में भी कार्य करता है।

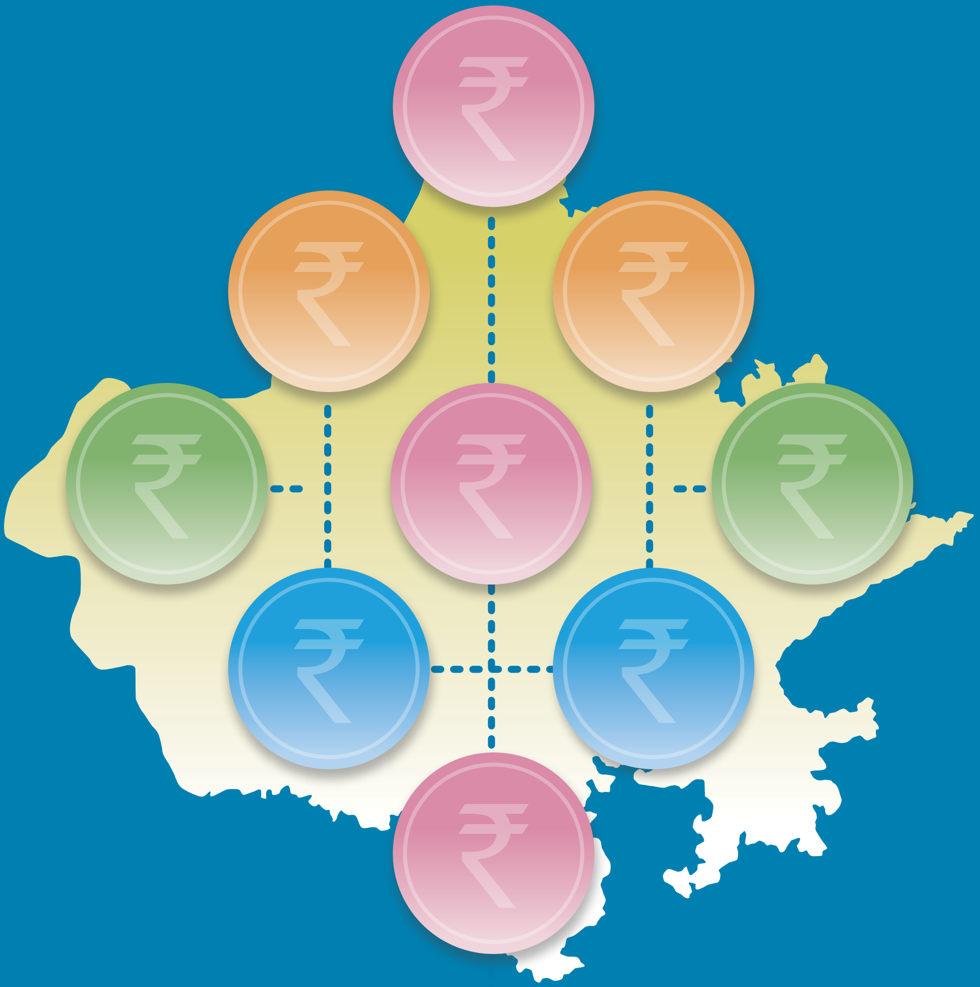

BARC

बजट अध्ययन एवं अनुसंधान केन्द्र ट्रस्ट, जयपुर

ई-758-59 नकुल पथ, लाल कोठी स्कीम

लाल कोठी , जयपुर (राज.)-302015

ईमेल- barctjaipur@gmail.com

वेबसाइट: www.barctjaipur.org

Supported by

unicef